

प्रायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती शकुन्तला चौधरी आरण्यम

हरण सं० : 230/2022

नवान :

विनोद पुत्र जुगलाल जाति जाट निवासी मोठसरा तहसील भादरा।

:- वादी

बनाम


1. जुगलाल पुत्र हजारी जाति जाट निवासी मोठसरा तहसील भादरा।
2. देवीलाल पुत्र जुगलाल जाति जाट निवासी मोठसरा तहसील भादरा।
3. लीलावती पुत्र जुगलाल जाति जाट निवासी मोठसरा तहसील भादरा।
4. गोरदेवी पुत्री जुगलाल जाति जाट निवासी मोठसरा तहसील भादरा।
5. इन्द्रा पुत्री जुगलाल जाति जाट निवासी मोठसरा तहसील भादरा।
6. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार (राजस्व) भादरा।

:- प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ शकुन्तला चौधरी सहायक कलक्टर फास्ट-ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री राजेश बैनीवाल एवं वकील प्रतिवादीगण श्री अर्जुन बैनीवाल की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा मोठसरा के खाता सं० 52/81 के खसरा सं० 183 की 4.0720है०, खसरा सं० 210/1 की 3.1870है०, खसरा सं० 309 की 3.7810है० कुल खसरा 3 की 11.0400है० वारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं० 1 जुगलाल के नाम 2/3 हिस्सा दर्ज वाद भूमि में वादी विनोद व प्रतिवादी सं० 1 जुगलाल व प्रतिवादी सं० 2 देवीलाल को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किये जाते हैं। चूंकि प्रतिवादी सं० 3 ता 5 ने अपना सम्पूर्ण हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं० 1 व 2 के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है। यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक .०९.१२.२०२२ को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।




(शकुन्तला चौधरी)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़